

राजस्थान सरकार

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक--संस्था/चि0310/एटी/401/2008/171

दिनांक-- 26/09/08

:- आदेश :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर चयनित नवनियुक्त अभ्यर्थियों के पदस्थापन स्थान में उनके नामों के आगे अंकित अनुसार संशोधन किया जाता है:-


क्रं. सं.	नाम चिकित्सा अधिकारी	मेरिट	जन्मतिथि	आदेश क्रं. व दिनांक	वर्ग	पूर्व पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
1.	डा० विजेन्द्र सिंह, ग्राम एवं पोस्ट महरमपुर, वाया सुलताना, जिला झुंझुनू	160	15-04-80	126/ 05-09-08	OBC-M	प्रा०स्वा०केन्द्र हीरवा (झुंझुनू)	सामु०स्वा०केन्द्र गुढागौडजी (झुंझुनू)
2.	डा. सुरेश चन्द्र गुप्ता मु. पोस्ट पीलौदा, तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर	37	10-07-73	130/ 12-09-08	Gen-M	प्रा०स्वा०केन्द्र बालेर (सवाईमाधोपुर)	सामु०स्वा०केन्द्र सिकंदरा (दौसा)
3.	डा. धर्मवीर जाजडा, द्वारा रधेश्याम प्रजापति, 2/533 कुरी भगतासानी, राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर-342005	144	22-07-80	130/ 12-09-08	OBC-M	प्रा०स्वा०केन्द्र पाचोडी (नागौर) / तांतवास (अजमेर)	प्रा०स्वा०केन्द्र पाचोडी (नागौर)
4.	डा. टीना ढाका, पुत्र श्री महेश चन्द ढाका द्वारा विजय इलेक्ट्रीकल्स, स्टेशन रोड, चिडावा, झुंझुनू	172	28-02-83	130/ 12-09-08	OBC-F	सामु०स्वा०केन्द्र गुढागौडजी (झुंझुनू)	प्रा०स्वा०केन्द्र हीरवा (झुंझुनू)
5.	डा. पूनम यादव, पुत्री श्री लालसिंह यादव, बासडा रोड, किशनगढ बास, अलवर	193	21-01-83	140/ 17-09-08	OBC-F	सामु०स्वा०केन्द्र भिवाडी (अलवर)	प्रा०स्वा०केन्द्र रामपुर (अलवर)
6.	डा. अशोक कुमार, पुत्र श्री तेजाराम विश्नोई, 19, गंगवाल पार्क, जे. एल.एन. मार्ग, जयपुर	150	06-07-82	161/ 25-09-08	OBC-M	प्रा०स्वा०केन्द्र रामपुरा (बाडमेर)	सामु०स्वा०केन्द्र धोरीमन्ना (बाडमेर)

जो चिकित्सक पूर्व में तदर्थ/समेकित वेतन पर कार्यरत हैं वे अपना चार्ज संभलाकर कार्यमुक्त होकर ही नवीन स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे। नियुक्ति आदेश में अंकित अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

निदेशक (जन स्वा०)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2) निजि सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 3) निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 4) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 5) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
- 6) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
- 7) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित को भेजकर लेख है कि अम्नार्थियों के कार्यग्रहण के समय संतानों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादि शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर मूल ही अम्नार्थी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने के समय अनिवार्य रूप से साथ में भिजवावे एवं छाया प्रति आपके कार्यालय हेतु रख लें।
- 8) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
- 9) संबंधित चिकित्सक को उनके घर के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
- 10) आदेश पत्रावली / निजि पत्रावली।

  
निदेशक (जन स्वा०)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।